राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

प्रार्थिनी	विप्रार्थीगण
1. रूमाई पत्नी हबीब जाति – मुसलमान, निवासी – आलमसर, तहसील – चौहटन जिला – बाड़मेर	1. सरपंच ग्राम पंचायत आलमसर 2. हासम पुत्र हबीब के कायम मुकाम :– (1.) जमील पुत्र हासम (2.) अदरूपम पुत्र हासम (3.) इस्माल पुत्र हासम (4.) मुबारक पुत्र हासम (5.) लुणा पुत्र हासम (6.) मुराद पत्नी हासम जाति – मुसलमान, निवासी – उम्मेदनगर, तहसील– चौहटन, जिला – बाड़मेर । 3. प्यारी देवी पत्नी चम्पालाल जाति – ओसवाल, निवासी – चौहटन, तहसील – चौहटन, जिला बाड़मेर। 4. तहसीलदार चौहटन।

31/8/21

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मु.न. 88/2021

प्रार्थी के वकील श्री साकरखांन एच ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के हक में कयास होता है, अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्ष को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि तहसील चौहटन के मौजा आलमसर के खसरा सं. 736/291 रकबा 66.04 बीघा, खसरा सं. 738/291 रकबा 19.16 बीघा व खसरा सं. 237 रकबा 60.06 बीघा भूमि पर किसी प्रकार का बेचान मौके एवं रेकर्ड़ की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम जारी हो। तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 06.10.2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
चौहटन

~~06/08/21 ...~~

31/08/21 पत्रावली आज प्रार्थिनी वकील ... प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। प्रार्थिनी ... मूल अपील विड्रो हो चुकी है। अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा। आवेदन में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से नाम हो।

सहायक कलक्टर
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:36:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner